328

संख्या– / XXVIII–5–2011–137 / 2011

प्रेषक,

पीयूष सिंह,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

चिकित्सा अनुभाग– 5 देहरादून, दिनांक 22 दिसम्बर, 2011

विषयः **वित्तीय वर्ष 2011–12 में राज्य योजना के अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कोटी, जनपद देहरादून के भवन निर्माण की स्वीकृति प्रदान किये जाने विषयक।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0–7प / 1 / 5 / 2011 / 40620, दिनांक 12.12.2011 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ हैं कि श्री राज्यपाल महोदय, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कोटी, जनपद देहरादून के आवासीय एवं अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु प्रथम चरण के आगणन ₹4.05 लाख के सापेक्ष टी0ए0सी0 द्वारा संस्तुत धनराशि ₹1.79 लाख पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2011–12 में सम्पूर्ण धनराशि ₹1.79 लाख (रूपये एक लाख उन्नासी हजार मात्र) अवमुक्त करते हुए, निम्नलिखित शर्तो के अधीन व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1– उक्त धनराशि आहरित कर अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग, प्रखण्ड देहरादून को उपलब्ध करायी जायेगी तथा स्वीकृत धनराशि का उपयोग शीघ्र सुनिश्चित करते हुए द्वितीय चरण का प्रस्ताव वित्त विभाग के शासनदेश सं0–671 / XXVIII(1) / 2010,दिनांक 19.10.2010 के आलोक में शीघ्र शासन को प्रस्तुत किया जायेगा।

2– धनराशि आहरित किये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि सम्बन्धित योजना हेतु भूमि उपलब्ध है एवं धनराशि अवमुक्त होने पर निर्माण कार्य शीघ्र प्रारम्भ कर दी जायेगी।

3– कार्य करने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत / अनुमादित दरों के आधार पर तथा जो दरें शेड्यूल ऑफ रेट्स में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गयी हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियंता / सक्षम अधिकारी से अनुमोदित करना आवश्यक होगा।

4– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है तथा धनराशि उन्ही मदों पर व्यय की जाय जिसके लिये स्वीकृत की जा रही है।

5– कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लो0नि0वि0 द्वारा प्रचलित दरों / विशिष्टयों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

6– कार्य करने से पूर्व उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता से कार्य स्थल का भली–भांति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाय तथा निरीक्षण के पश्चात् दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कराया जाय।

7– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0–2047 / XIV–219(2006), दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।

8– कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

9– अवमुक्त की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग इसी वित्तीय वर्ष में करते हुए वित्तीय / भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा।

.....2

10— उक्त के संबंध में होने वाला व्यय आय–व्ययक वर्ष 2011–12 के अनुदान सं0–12 लेखाशीर्षक 4210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय, 02 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें, 103–प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 03–प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवनों का निर्माण 24–वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

11— यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 सं0–340 (P)/XXVII(3)/2011–12, दिनांक 21 दिसम्बर, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(पीयूष सिंह)
अपर सचिव।

संख्या–1720(1)/XXVIII–5–2011–137/2011 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नालिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1— महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबेरॉय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2— स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड।
3— जिलाधिकारी/मुख्य चिकित्साधिकारी, देहरादून।
4— मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
5— निर्माण इकाई, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग, प्रखण्ड देहरादून।
6— बजट राजकोषीय, नियोजन व संसाधन निदेशालय, सचिवालय, देहरादून।
7— वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0–3/नियोजन विभाग/एन0आई0सी0।
8— मीडिया सेंटर, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
9— गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(पीयूष सिंह)
अपर सचिव